

35. संतोष पुत्री भंवरलाल आयु-19 वर्ष  
 36. सुरजी पुत्री भंवरलाल आयु-25 वर्ष  
 37. हीरा पुत्री भंवरलाल आयु-22 वर्ष  
 38. सीता पत्नी ओगड़राम आयु-60 वर्ष  
 39. मिश्रीलाल पुत्र सुखाराम आयु-52 वर्ष  
 40. सुखीदेवी पत्नी बुधमल आयु-58 वर्ष  
 41. रूपाराम पुत्र पन्नाराम आयु-60 वर्ष  
 42. टीमूड़ी पत्नी रामलाल आयु-58 वर्ष  
 43. जोगाराम पुत्र जयरूप आयु-65 वर्ष  
 44. रतनाराम पुत्र जयरूप आयु-58 वर्ष  
 45. गुमनाराम पुत्र जयरूप आयु-60 वर्ष  
 46. समली पत्नी अणदाराम आयु-54 वर्ष  
 47. ताराचंद पुत्र शिवराम आयु-44 वर्ष  
 सभी जातियान-कुमावत निवासीगण-ग्राम  
 खेड़ा महाराजपुरा, तहसील-जैतारण  
 जिला-पाली राज0 जरिये खास मुखियारधारक  
 वादीगण संख्या 14 से लगायत 47 तक  
 श्री श्री डावंरराम उर्फ देवाराम पुत्र गेपरराम  
 जाति-कुमावत आयु-43 वर्ष निवासी- खेड़ा  
 महाराजपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

51. बगदाराम पुत्र लाबूराम आयु-53 वर्ष  
 52. श्यामलाल पुत्र लाबूराम आयु-47 वर्ष  
 53. भूण्हकी पुत्री लाबूराम आयु-39 वर्ष  
 54. बचनाराम पुत्र भानाराम आयु-66 वर्ष  
 55. जरसाराम पुत्र भानाराम आयु-60 वर्ष  
 56. रामलाल पुत्र भानाराम आयु-56 वर्ष  
 57. रुधाराम पुत्र भानाराम आयु-52 वर्ष  
 58. नारायणलाल पुत्र मुगनाराम आयु-70 वर्ष  
 59. छैलाराम पुत्र मुगनाराम आयु-66 वर्ष  
 60. हरकूड़ी पुत्री मुगनाराम आयु-62 वर्ष  
 61. बुधकी पुत्री मुगनाराम आयु- 51 वर्ष  
 62. देवाराम पुत्र टोडाराम आयु-46 वर्ष  
 63. शंकरलाल पुत्र टोडाराम आयु-39 वर्ष  
 64. भीकाराम पुत्र टोडाराम आयु-36 वर्ष  
 65. ओमप्रकाश पुत्र टोडाराम आयु-32 वर्ष  
 66. बाबूलाल पुत्र थानाराम आयु-39 वर्ष  
 67. बोहराराम पुत्र थानाराम आयु-42 वर्ष  
 68. सादूलराम पुत्र रामीग आयु-75 वर्ष  
 69. हिंगली पत्नी सादूलराम आयु-70 वर्ष  
 70. घेवरराम पुत्र घीसा आयु- 57 वर्ष  
 71. सुखड़ी उर्फ शकूलतला पत्नी घेवर  
 आयु- 55 वर्ष  
 72. सुगनाई पत्नी मल्लाराम आयु-68 वर्ष  
 73. मंगाराम पुत्र मल्लाराम आयु-41 वर्ष  
 74. कानाराम पुत्र मल्लाराम आयु-35 वर्ष  
 75. अरुणा पुत्री मल्लाराम आयु-47 वर्ष  
 76. मंजू पुत्री मल्लाराम आयु-23 वर्ष  
 जातियान-कुमावत निवासीगण-खेड़ा  
 महाराजपुरा, तहसील-जैतारण,  
 जिला-पाली राज0।  
 77. तहसीलदार जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजु: 25/06/2018

उपस्थित:-

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अरुणसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 16/08/2018

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल तहसील- जैतारण जिला-पाली राज0 में वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर- 08 रकबा 03-01 बीघा, खसरा नंबर 11 रकबा- 06-07 बीघा, खसरा नंबर 16 रकबा 01-05, खसरा नंबर 31 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नंबर 07 रकबा 02-11 बीघा, खसरा नंबर 09 रकबा 02-17 बीघा, खसरा नंबर 18 रकबा 01-06, खसरा नंबर 23 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नंबर 30 रकबा 03-09 बीघा, खसरा नंबर 11/207 रकबा 0-04 बीघा, खसरा नंबर 10 रकबा 01-15 बीघा, खसरा नंबर 17 रकबा 01-06 बीघा, कृषि भूमि वादीगण की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमियों को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम के निर्दिष्ट किया जायेगा। इसी प्रकार सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल, तहसील जैतारण, जिला-पाली राज0 में प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर-02 रकबा 06-14 बीघा, खसरा नंबर 03 रकबा 04-02 बीघा, खसरा नंबर 05 रकबा 17-10, खसरा नंबर 56 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नंबर 69 रकबा 03-08 बीघा, खसरा नंबर 33 रकबा 00-11 बीघा, खसरा नंबर 36 रकबा 00-12 बीघा, खसरा नंबर 34 रकबा 00-11 बीघा, खसरा नंबर 68 रकबा

(मोहनलाल खेटनावलिया)  
 उपप्रभंड अधिकारी  
 जैतारण (पाली)

05-15 बीघा, खसरा नंबर 70 रकबा 03-12 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 00-11 बीघा, कृषि भूमि प्रतिवादीगण की आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित भूमियों में वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित जमीनें जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में वर्णित है। उसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार है। लेकिन वास्तव में मौके पर जो कब्जा व काश्त है। वह राजस्व रेकर्ड के विपरीत है। क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव व एक ही समाज के व्यक्ति हैं एवं पूर्वजों के अनुसार एक ही वंश के होने से राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं होकर के विपरीत कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण जिनका राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है, परन्तु मौके पर प्रतिवादीगण के हक हिस्से की जिनमें प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उन खसराओं में मौके पर वादीगण का कब्जा है एवं जहां वादीगण राजस्व रेकर्ड में खातेदार है वहां पर मौके पर प्रतिवादीगण का विज होकर काश्त कर रहे है। जिनमें वादीगण जो इस वादपत्र के जरिये अपने खातेदारी अधिकारों की मौके पर कब्जा के अनुसार घोषणा करवाना चाहते है उस कृषि भूमि का विवरण निम्न अनुसार है- खसरा नंबर-02 रकबा 06-14 बीघा में से रकबा 2-11 बीघा , खसरा नंबर 03 रकबा 04-02 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 05 रकबा 17-10 में से रकबा 2-10 बीघा, खसरा नंबर 56 रकबा 02-15 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 69 रकबा 03-08 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 33 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 36 रकबा 00-12 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 34 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 68 रकबा 05-15 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 70 रकबा 03-12 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 35 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, इस प्रकार से उपरोक्त पद में वर्णित आराजी जो मौके पर वादीगण के कब्जा काश्त में है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज है इसलिए उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण को इस पद में वर्णित अनुसार भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस बाबत यह वादपत्र घोषणा का पेश है। इसी प्रकार विवादित आराजीयात में वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम इन्द्राज है, परन्तु मौके पर कब्जा व काश्त प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। जो भूमियां प्रतिवादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राज की जाकर वादीगण का नाम हटाया जावे। उन भूमियों का विवरण निम्न प्रकार से है कि खसरा नंबर- 08 रकबा 03-01 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 11 रकबा- 06-07 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 16 रकबा 01-05 का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 31 रकबा 02-15 बीघा में से रकबा 1-09 बीघा, खसरा नंबर 07 रकबा 02-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 09 रकबा 02-17 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 18 रकबा 01-06 का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 23 रकबा 01-08 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 30 रकबा 03-09 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 11/207 रकबा 0-04 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 10 रकबा 01-15 बीघा का भी सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 17 रकबा 01-06 बीघा का सम्पूर्ण रकबा इस प्रकार से उपरोक्त पद में वर्णित आराजी जो मौके पर प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम इन्द्राज है इसलिए उक्त आराजी में वादीगण का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को इस पद में वर्णित अनुसार भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस बाबत यह वादपत्र घोषणा का पेश है। दिनांक 06.06.2018 को वादीगण द्वारा समस्त राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर उन्हें जानकारी हुई कि जहां पर उनका कब्जा व काश्त है वह जमीन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है एवं जो जमीन वादीगण के नाम दर्ज है उनमें से कुछ जमीनों पर कब्जा व काश्त प्रतिवादीगण का है। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अदला-बदली अर्थात विनियम करने का निवेदन करने पर कुछ प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। जिससे वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित आराजी जो कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त पक्षकारान का नहीं है। इस वजह से भविष्य में मौके पर कब्जे को लेकर के विवाद हो सकता है, एवं जमीन को खुर्द बुर्द करने का भी अदेशा बना हुआ है। और यदि समय रहते अदला नहीं हुई तो मौके पर विवाद बढ़ेगे व लड़ाई-झगड़े होंगे। मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी।

(मोहनलाल खट्वावलिया)

उपखण्ड अधिकारी

जैतारण (पाली)

इसलिए वादीगण के पास कब्जे के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश हैं यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 77 जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व उन्हें 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 06.06.2018 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपनी जमीनों का सही इन्द्राज कराने हेतु प्रतिवादीगण को निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये जिस पर बमुकाम खेड़ा महाराजपुरा, जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। इस प्रकार वकील वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर माफिक वाद डिक्री किये जाने की ईस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समनस् तलब किये गये। राजीनामा अधिवक्ता मय वादीगण संख्या 01 से लगायत 13 तथा वादीगण संख्या 14 से लगायत 47 तक के खास मुख्तियारधारक डांवरराम उर्फ देवाराण पुत्र गोपरराम जी जाति-कुमावत निवासी खेड़ा महाराजपुरा एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 44 एवं प्रतिवादीगण संख्या- 46, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, से लगायत 76 के खास मुख्तियारधारक बगदाराम पुत्र महाराम जी जाति-कुमावत निवासी-धारानगरी तहसील-जैतारण एवं शेष प्रतिवादीगण संख्या 45 बगदाराम, 47 गोपरराम, 48 चन्द्राराम, 51 बगदाराम, 54 बचनाराम, 58 नारायणलाल, 62 देवाराण, 66 बाबूलाल, 70 घेवरराम की ओर से पेश है कि पक्षकारान ने आपसी समझाइश व गांव के मौजिज लोगों की उपस्थिति में आपस में इस वादपत्र में वर्णित आराजी का राजीनामा कर लिया है, तथा राजीनामा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे राजीनामा निम्नानुसार है कि- सरहद मौजा महाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर-02 रकबा 06-14 बीघा में से रकबा 2-11 बीघा , खसरा नंबर 03 रकबा 04-02 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 05 रकबा 17-10 में से रकबा 2-10 बीघा, खसरा नंबर 56 रकबा 02-15 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 69 रकबा 03-08 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 33 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 36 रकबा 00-12 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 34 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 68 रकबा 05-15 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 70 रकबा 03-12 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 35 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा है उक्त आराजी जो मौके पर वादीगण के कब्जा काश्त में है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज है इसलिए उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण को इस पद में वर्णित अनुसार भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार खसरा नम्बर- 08 रकबा 03-01 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 11 रकबा- 06-07 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 16 रकबा 01-05 का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 31 रकबा 02-15 बीघा में से रकबा 1-09 बीघा, खसरा नंबर 07 रकबा 02-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 09 रकबा 02-17 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 18 रकबा 01-06 का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 23 रकबा 01-08 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 30 रकबा 03-09 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 11/207 रकबा 0-04 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 10 रकबा 01-15 बीघा का भी सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 17 रकबा 01-06 बीघा का सम्पूर्ण रकबा उक्त आराजी जो मौके पर प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम इन्द्राज है इसलिये उक्त आराजी में वादीगण का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को इस पद में वर्णित अनुसार भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार राजीनामा कर लिया हैं एवं अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इसलिए राजीनामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजीनामा बाद जांच पृथक से तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस वकूलाय सुनी गयी। बहस में वकील वादी ने व्यक्त किया कि उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है एवं वादीगण एवं

(मोहनलाल खट्वावलिया),  
उपस्रण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली),

प्रतिवादीगण एक ही गांव के वंशज है। माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकूलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन पर उक्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी होना बखुबी साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित आराजी पर माफिक खातेदारी अनुसार काबिज न होकर एक-दूसरे की खातेदारी पर काबिज है। राजीनामा पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वर्तमान के कब्जे काशत के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जावें। लिहाजा माफिक वादपत्र एवं राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

### -:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-खेड़ा महाराजपूरा पटवार हल्का फूलमाल तहसील- जैतारण जिला-पाली राज0 में वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर- 08 रकबा 03-01 बीघा, खसरा नंबर 11 रकबा- 06-07 बीघा, खसरा नंबर 16 रकबा 01-05, खसरा नंबर 31 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नंबर 07 रकबा 02-11 बीघा, खसरा नंबर 09 रकबा 02-17 बीघा, खसरा नंबर 18 रकबा 01-06, खसरा नंबर 23 रकबा 01-08 बीघा, खसरा नंबर 30 रकबा 03-09 बीघा, खसरा नंबर 11/207 रकबा 0-04 बीघा, खसरा नंबर 10 रकबा 01-15 बीघा, खसरा नंबर 17 रकबा 01-06 बीघा, एवं सरहद मौजा खेड़ा महाराजपूरा पटवार हल्का फूलमाल, तहसील जैतारण, जिला-पाली राज0 में प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर-02 रकबा 06-14 बीघा, खसरा नंबर 03 रकबा 04-02 बीघा, खसरा नंबर 05 रकबा 17-10, खसरा नंबर 56 रकबा 02-15 बीघा, खसरा नंबर 69 रकबा 03-08 बीघा, खसरा नंबर 33 रकबा 00-11 बीघा, खसरा नंबर 36 रकबा 00-12 बीघा, खसरा नंबर 34 रकबा 00-11 बीघा, खसरा नंबर 68 रकबा 05-15 बीघा, खसरा नंबर 70 रकबा 03-12 बीघा, खसरा नंबर 35 रकबा 00-11 बीघा में खसरा नंबर-02 रकबा 06-14 बीघा में से रकबा 2-11 बीघा, खसरा नंबर 03 रकबा 04-02 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 05 रकबा 17-10 में से रकबा 2-10 बीघा, खसरा नंबर 56 रकबा 02-15 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 69 रकबा 03-08 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 33 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 36 रकबा 00-12 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 34 रकबा 00-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 68 रकबा 05-15 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 70 रकबा 03-12 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 35 रकबा 00-11 बीघा वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाते हैं। इसी प्रकार खसरा नंबर- 08 रकबा 03-01 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 11 रकबा- 06-07 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 16 रकबा 01-05 का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 31 रकबा 02-15 बीघा में से रकबा 1-09 बीघा, खसरा नंबर 07 रकबा 02-11 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 09 रकबा 02-17 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 18 रकबा 01-06 का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 23 रकबा 01-08 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 30 रकबा 03-09 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 11/207 रकबा 0-04 बीघा का सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 10 रकबा 01-15 बीघा का भी सम्पूर्ण रकबा, खसरा नंबर 17 रकबा 01-06 बीघा का सम्पूर्ण रकबा में प्रतिवादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण के नाम हटाये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटमावलिया)  
उपखण्ड अधीक्षक, जैतारण  
जिला-पाली (पाली 0)

निर्णय आज दिनांक 16/08/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटमावलिया)  
उपखण्ड अधीक्षक, जैतारण  
जिला-पाली (पाली 0)

